4 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत नांदिया कला कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उप। अप्रार्थीया संख्या 2 का अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरो का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश करने हेतु निवेदन किया। कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम नांदिया कला तहसील - बावड़ी के खसरा संख्या 130 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा संख्या 72 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा की कृषि भूमि [illegible] प्रार्थीया अपने हक हिस्से के 1/3 हिस्से का मौके पर नाम (सीमांकन) कर पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं
अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	करवानी चाहती है जिस पर अप्रार्थीया संख्या 2 के अधिवक्ता ने भी सहमति जाहिर की। प्रार्थीया अधिवक्ता तथा अप्रार्थीया संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह जाहिर होती है कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है। इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। **आदेश** प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नोंदिया कला तहसील -बाकी के विवादित खसरा संख्या 130 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा संख्या 72 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा का सीमांकन करते हुए पत्थरगढ़ी प्रार्थीया के हक हिस्से 1/3 अनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। एवं पत्थरगढ़ी करते समय आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद तहसीलदार बाकी प्राप्त करें। आदेश की प्रति संलग्न कर तहसीलदार बाकी	

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में ज...
	को पालनार्थ तहरीर जारी हो। फैसला प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलेक्टर ...
...खण्ड अधिकारी, बाव...